



मिशन शक्ति 5.0



कोतवाली फरुखाबाद



Fatehgarhpolice



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली मोहम्मदाबाद



#Fatehgarhpolice



मिशन शक्ति 5.0



कोतवाली कायमगंज





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



#Fatehgarhpolicе

थाना शसमाबाद





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



धाना अमृतपुर





मिशन शक्ति 5.0



कोतवाली फतेहगढ़





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना कादरीगेट



[#MissionShakti](#)



मिशन शक्ति 5.0



कोतवाली मोहम्मदाबाद



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना कम्पिल



#Fatehgarhpolice



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना मेरापुर



मिशन शक्ति 5.0



थाना नबावगंज





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना कमालगंज



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना जहानगंज

दि०-16.12.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. नीरज पुत्र छविनाथ सिंह निवासी रतनपुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ 2. अनूप सिंह पुत्र मानसिंह 3. अनिल सिंह पुत्र मान सिंह निवासीगण अलीदासपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ 4. टीपू पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी सिन्दराराउ जनपद हाथरस मु०अ०सं०- 133/2016 वाद संख्या 194/2017 धारा 307/34,323/34,504,506 भादवि० थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय डीजे कोर्ट द्वारा दिनांक 16.12.2025 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 07 वर्ष का कारावास की सजा व 5000 -5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



डीजीसी - श्री सुदेश प्रताप सिंह



को० मो० का० जसवीर



पैरोकार का० मोहित यादव

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना जहानगंज

दि0-16.12.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अनिल सिंह पुत्र मान सिंह निवासी अलीदासपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 146/2016 वाद संख्या 639/2023 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय डीजे कोर्ट द्वारा दिनांक 16.12.2025 को अभियुक्तको दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास की सजा व 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



डीजीसी - श्री सुदेश प्रताप सिंह



को० मो० का० जसवीर



पैरोकार का० मोहित चादन